21.9.22

प्रार्थीगण के वकील उपस्थित।

SDO सिणधरी

विप्रार्थी सं. 1 वकील उप.।

शेष विप्रार्थी सं. 3 व 4 को जारी नोटिस की तामिली की पालना रिपोर्ट अप्राप्त।

वकील विप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया जिस पर दोनों पक्षो की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि प्रार्थी के पिता–पति के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम लोहिड़ी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 706/1 रकबा 5.0482 हैक्टयर, खसरा संख्या 706/6 रकबा 0.4450 हैक्टयर, खसरा संख्या 706/7 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 799/1 रकबा 1.2054 हैक्टयर व खसरा संख्या 920/1 रकबा 6.1808 हैक्टयर कुल रकबा 12.9846 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:15:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पक्षकारान के पैतृक पुश्तेनी की है, जिसके अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्व पुरूष जीवा की थी। जीवा के दो पुत्र मुला व पिदमणा– वक्त बन्दोबस्त के समय जीवा के पुत्र मुला जीवित था, पिदमणा का दहान्त हो गया। लिछमणा का पुत्र विप्रार्थीसं. 1 ईशराराम उस समय कम उम्र का था। विवादित आराजी में आधा हिस्सा मुला का व आधा हिस्सा लिछमणा का हुआ। मुला द्वारा अपना हिस्सा पृथक करा दिया। लिछमणा के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में लिछमणा के पुत्र विप्रार्थी सं. 1 का नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उसका खातेदारी हिस्सा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार विवादित आराजी में प्रार्थीगण, विप्रार्थी सं. 1 का सामुहिक रूप से हिस्सा बनता है तथा विवादित आराजी में जन्म से हक व अधिकार उत्पन्न होने के कारण विप्रार्थी सं. 1 जो कि वर्तमान में विवादित भूमि का अकेला खातेदार होने से किसी अजनबी केता को बेचान करने पर उतारू है, यदि वी ऐसा करने में सफल हुआ तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना भविष्य में संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी सं. 1 को जरिये निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे, कि वह विवादित आराजी ग्राम लोहिड़ी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 706/3 रकबा 5.0482 हैक्टयर, खसरा संख्या 706/6 रकबा 0.4450 हैक्टयर, खसरा संख्या 706/7 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 799/1 रकबा 1.2054 हैक्टयर व खसरा संख्या 920/1 रकबा 6.1808 हैक्टयर कुल रकबा 12.9846 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा जब तक मूल वाद का निस्तारण न हो तब तक किसी प्रकार का हस्तांतरण व अन्तरण, रहन इत्यादि नहीं कर सकता एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए अपनी बहस में प्रार्थीगण के आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए मौके एवं कब्जे की भूमि में कोई भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:15:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

पक्षकारान एक दूसरे की कब्जा काश्त में दखलदाजी नहीं करने की निषेधाज्ञा के दोनों पक्षों को पाबन्द किया जावे।

हमनें प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया एवं तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि विप्रार्थी संख्या 1 के नाम की खातेदारी भूमि ग्राम लोहिड़ी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 706/3 रकबा 5.0482 हैक्टयर, खसरा संख्या 706/6 रकबा 0.4450 हैक्टयर, खसरा संख्या 706/7 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 799/1 रकबा 1.2054 हैक्टयर व खसरा संख्या 920/1 रकबा 6.1808 हैक्टयर कुल रकबा 12.9846 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2076 से 2079 से प्रमाणित होता है। जहां तक प्रार्थीगण कथन अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पैतृक पुश्तेनी होने के तथ्यानुसार कि जिसके अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्व पुरूष जीवा की थी। जीवा के दो पुत्र मुला व पिदमणा– वक्त बन्दोबस्त के समय जीवा के पुत्र मुला जीवित था, लिछमणा का देहान्त हो गया। लिछमणा का पुत्र विप्रार्थी सं. 1 ईशराराम उस समय कम उम्र का था। विवादित आराजी में आधा हिस्सा मुला का व आधा हिस्सा लिछमणा का हुआ। मुला द्वारा अपना हिस्सा पृथक करा दिया। लिछमणा के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में लिछमणा के पुत्र विप्रार्थी सं. 1 का नाम दर्ज हुआ। प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उसका खातेदारी हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 अन्तर्गत विवादित आराजी में प्रार्थीगण, विप्रार्थी सं. 1 का सामान्य रूप से हिस्सा बनता है का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य /सबूत के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई निर्णित किया जाना है, परन्तु प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों द्वारा अपने अभिकथनों में स्वीरकारोक्ति के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:15:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

विवाद बढने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदीगीया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मदद्वेनजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक दोनो पक्षो को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 को जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि ग्राम लोहिड़ी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 706/3 रकबा 5.0482 हैक्टयर, खसरा संख्या 706/6 रकबा 0.4450 हैक्टयर, खसरा संख्या 706/7 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 799/1 रकबा 1.2054 हैक्टयर व खसरा संख्या 920/1 रकबा 6.1808 हैक्टयर कुल रकबा 12.9846 हैक्टयर भूमि अवस्थित में पक्षकारान कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं, दोनों पक्ष राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:15:42 IST
Reason: SelfAttested